तारीख हुक्म	प्रभुदयाल / अनिल कुमार **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** GCMS-2022/948	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

14/07/2025

वकुलाय उप०। वादी द्वारा पूर्व में संशोधित शीर्षक पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया जाता है। वास्ते पेश होने जवाब एवं बहस आपत्ति विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 21/07/25 को पेश हो।

21/07

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेश शामिल दिनांक 22/7/25 को पेश हो।

प्रार्थी कमल की ओर से पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरण की दर० पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

22/07

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/07/25 को पेश हो।

25/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं0 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी जाकर शामिल मिसल किया गया। पेश प्रा0 पत्र अन्तर्गत आ0 7 नि0 11 एवं धारा 151 सीपीसी एवं आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तथा प्रार्थी कमल पुत्र सांवलराम द्वारा पूर्व में पेश दर0 बाबत पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरण पर वकुलाय उभयपक्ष को सुना गया। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 29.07.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:29 IS
Reason: SelfAttested

29/07/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में पेश प्रा0 पत्र अं0 आ0 7 नि0 11 एवं धारा 151 सीपीसी तथा विभाजन प्रस्ताव तथा प्रार्थी कमल पुत्र सांवलराम द्वारा पूर्व में पेश दर0 बाबत पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में
	पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। चूंकि प्रार्थी कमल पुत्र सांवलराम (प्रतिवादी सं0 3) ने दर0 बाबत पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरण दिनांक 21.07.2025 को पेश की गई हैं। प्रार्थी अथवा वकील प्रतिवादी सं0 3 ने आज दिनांक तक माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष हस्तगत वादपत्र को अन्यत्र स्थानान्नतरण किये जाने के प्रार्थना पत्र की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रतिवादी सं0 3 का सिर्फ प्रकरण को देरिना किया जाने के उद्धेश्य से दरख्वास्त दिनांकित 21.07.2025 पेश की गई हैं अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त दिनांकित 21.07.2025 खारिज की जाती हैं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, आपत्ति विभाजन प्रस्ताव एवं प्रा0 पत्र अं0 आ0 7 नि0 11 एवं धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने हेतु पेश किया गया हैं जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी होकर तहसीलदार नीमकाथाना से विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुका हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी सं0 3, 22, 23, 32 एवं 53 ने हाजिर अदालत आकर आपत्ति पेश की हैं। जिस पर वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रा0 पत्र अं0 आ0 7 नि0 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जाना [illegible] न्यायालय हाजा की प्रकरण में कार्यवाही को बढाया जाना हैं। अतः प्रकरण में अन्तिम बहस के दौरान प्रा0 पत्र अं0 आ0 7 नि0 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जाना अनुचित पाया जाने पर न्यायहित में खारिज किया जाता हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajive Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
दौराने बहस आपत्ति विभाजन प्रस्ताव वकील वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 55 में से प्रतिवादी सं0 3, 22, 23, 32 एवं 53 को छोड़कर समस्त प्रतिवादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादपत्र अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 3, 22, 23, 32 एवं 53 ने दौराने बहस कहा कि तहसीलदार नीमकाथाना ने वादी के बहकावे में आकर पक्षकारान को बिना नोटिस जारी किये ही व मौके पर बिना गये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया हैं एवं विभाजन प्रस्ताव में खातेदारों को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्ता को भी ध्यान में नही रखा गया हैं। अतः तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को खारिज कर तहसीलदार नीमकाथाना को स्वयं मौके पर उपस्थित होकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव, आपत्ति विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारान के मध्य बंटवारा पृथक्–पृथक् मीन बट्टा नम्बर डालते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त के आधार पर तैयार किया गया हैं। मौका रिपोर्ट पर पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। आपत्तिकर्ता ने अपनी आपति में ऐसी किसी विशिष्ठ भू–भाग का अंकन नही किया जिसका विभाजन प्रस्ताव में गलत पक्षकार के हिस्से में अंकन किया गया हो। आपत्तिकर्ता द्वारा भूमि रास्ते पर नही दिये जाने की आपति भी उचित नही हैं क्योकि आपत्तिकर्ता को प्राप्त भूमियां रास्ते से लगती हुई हैं एवं जिस किसी हिस्से पर रास्ता नही लगता हो वह संबंधित पक्षकार सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र अं0 धा0 251 (ए) आरटीएक्ट पेश कर अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वकील प्रतिवादी सं0 3, 22, 23, 32 एवं 53 का प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज किया जाता हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व	Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Yadav Date: 2025.08.11 17:51:29 Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर इस हु... जारी ...
	रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:29 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री रामदेव जाति जाट निवासी गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र फूलचन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 430 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रोशन लाल अग्रवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री आनन्दी लाल सैनी, श्री होशियार सिंह बड़सरा, श्री उमेश खण्डेलवाल, श्री जितेन्द्र यादव, श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट्स मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री** का भाग रहेगा। **मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 07 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर (उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना)

दस्तखत.............
ओहदा...............
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:51:29 IST
Reason: SelfAttested